# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 77 / 24 दायर दिनांकः 19.06.2024

जीसीएमएस नं. 2024 / 191

**उनवान**

1 कल्याण प्रसाद पुत्र घीसा जाति ब्राह्मण नि. शहजादपुरा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादी

**बनाम**

1 भगवानसहाय 2 मंगतीलाल पुत्रान घीसा जाति ब्राह्मण नि. शहजादपुरा तह. भुसावर 3 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1. श्री पप्पूराम ––वादी
2. श्री सुशील कुमार पाण्डेय ––प्रति.सं. 1,2

**निर्णय दिनांक 11.02.2026**

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 102 रकवा 0.6300, 146 रकवा 0. 0600, 178 रकवा 0.3700, 183 रकवा 0.6300, 198 रकवा 0.2900 245 रकवा 0.1400, 267 रकवा 0.4800, 33 रकवा 0.7900, 37 रकवा 0.6900 किता 9 कुल रकवा 4.0800 हेक्टेयर वाके ग्राम शहजादपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है, जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वाहिस्सा बराबर के काबिज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा इसी प्रकार से मौके पर काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड नही हुआ है। परन्तु मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार आराजी को मनवट के आधार पर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादी के निहित हिस्से की आराजी का पूरा पूरा लाभ प्राप्त नही होने देते है। एवं आराजी मे से अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर तारबन्दी करते हुए वादी के हिस्से की आराजी को जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर देते है व आराजी मे लगे हुये ट्यूबवैल का उपयोग व उपभोग भी नही करने देते है। एवं आराजी मे से अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करना चाहते है। जबकि प्रतिवादीगण को बिना विभाजन कराये आराजी को रहन, वय व मुन्तकिल करने का व तारबन्दी करने के लिए पोल गाढने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

दिनांक 10.06.2024 को वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन बाई मीटस एण्ड बाउण्ड कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादीगण ने खुले आम धमकी दी कि हम तो अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर अपनी मर्जी अनुसार पोल गाढकर तारबन्दी करके रहेगे, और तुझे तेरे हिस्से की आराजी को जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर देगें, और ट्यूबवैल का उपयोग व उपभोग भी नही



उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

करने देगे। तथा आराजी को किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, बय व मुन्तकिल करते हुए तुझे अच्छी व नीचे की आराजी से बेदखल कर महरूम कर देगे। अतः वादी वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया है कि उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब दावा श्री सुशील कुमार पाण्डेय एड. द्वारा पेश किये।

हमने बहस पर उभय पक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर हम दावा प्रारम्भिक डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/4815 दिनांक 24.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पुनः तहसीलदार, भुसावर को आपत्तियों के आलोक में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2026/740 दिनांक 11.02.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

पुनः प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट खारिज किया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/भू.अ./2026/740 दिनांक 11.02.2026 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांकः 19.06.2024

प्रकरण सख्याः 77/24
जीसीएमएस नं. 2024/191

**उनवान**

1 कल्याण प्रसाद पुत्र घीसा जाति ब्राह्मण नि. शहजादपुरा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादी

**बनाम**

1 भगवानसहाय 2 मंगतीलाल पुत्रान घीसा जाति ब्राह्मण नि. शहजादपुरा तह. भुसावर 3 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तार्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1. श्री पप्पूराम ––वादी
2. श्री सुशील कुमार पाण्डेय ––प्रति.सं. 1,2

**डिक्री दिनांक 11.02.2026**

तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/भू.अ./2026/740 दिनांक 11.02.2026 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०